इटावा पुलिस

सराहनीय कार्य

#CRACKDOWN

दिनांक 17.08.2026

- **मात्र 04 घण्टे के अन्दर हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुये इटावा पुलिस द्वारा 01अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से 01 तमन्चा 315 बोर, 02 खोखा, 03 जिन्दा कारतूस, 2,31,000/- नकदी एवं घटना में प्रयुक्त लाल स्कूटी की गयी बरामद।**

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा श्री श्रीशचन्द्र के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी भरथना श्री रामदवन मौर्य के नेतृत्व में थाना भरथना पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

नोटः- दिनांक 17.08.2026 को थाना भरथना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम चन्देठी में 02 महिलाओं के शव प्राप्त होने की सूचना प्राप्त हुयी प्राप्त सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा एवं अन्य अधिकारीगणों द्वारा तत्काल मौके पर जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु एसओजी/सर्विलान्स एवं थाना भरथना से पुलिस टीमों का गठन किया गया।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं थाना भरथना क्षेत्रान्तर्गत हुयी घटना के सफल अनावरण हेतु गठित पुलिस टीमों द्वारा लगातर संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ एवं सीसीटीवी कैमरों की चैकिंग की जा रही थी इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुयी कि मु0अ0सं0 189/2026 से सम्बन्धित अभियुक्त मुकेश यादव जारपुरा से साम्हों की तरफ जा रहा है, गठित पुलिस टीमों द्वारा सूचना पर तत्काल सघन चैकिंग की जाने लगी इसी दौरान लाल स्कूटी आती दिखायी दी जिसे रोकने का इशारा किया गया तो स्कूटी सवार व्यक्ति द्वारा स्कूटी को मोड़कर भागने का प्रयास करते हुये पुलिस टीम पर फायरिंग की गयी जिसके **फलस्वरूप आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा जवाबी फायरिंग की गयी तो 01 गोली अभियुक्त दाहिने पैर में लगी जिसे घायल अवस्था में अवैध तमन्चा, कारतूस एवं नकदी सहित गिरफ्तार किया गया।**

पुलिस पूछताछः-

पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त मुकेश यादव से पूछताछ की गयी तो उसके द्वारा बताया गया कि मेरी मुलाकात सत्येन्द्र उर्फ करिया से (जो मेरा मौसेरा जीजा है) इटावा न्यायालय में तारीख पेशी के दौरान हुई थी।

सत्येन्द्र का विवाह कुछ वर्ष पूर्व मंजू पुत्री सुरेश (निवासी ग्राम चन्देठी, थाना भरथना) के साथ हुआ था। वैवाहिक विवाद के कारण मंजू अपने मायके ग्राम चिनैठी में रह रही थी तथा दोनों के मध्य विवाह-विच्छेद (तलाक) का मुकदमा माननीय न्यायालय इटावा में विचाराधीन था। हाल ही में माननीय न्यायालय द्वारा सत्येन्द्र को अपनी पत्नी मंजू को भरण-पोषण हेतु ₹7,000/- प्रतिमाह देने का आदेश पारित किया गया था। भरण-पोषण के आदेश से क्षुब्ध होकर सत्येन्द्र ने अपनी पत्नी मंजू व सास को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। दिनांक 15.08.2026 को पूर्व योजना के अनुसार मैं और सत्येन्द्र ग्राम चन्देठी के बाहर मिले। मैं अपने साथ (कोल्ड ड्रिंक) की 03 छोटी बोतलें लेकर गया था,

जिनमें से 02 खुली बोतलों में नशीला पदार्थ मिला हुआ था तथा 01 बोतल सीलबंद थी। योजना के तहत मैंने मंजू के घर जाकर दोनों को नशीली कोल्ड ड्रिंक पिला दी, जिससे वे दोनों अचेत (बेहोश) हो गईं। अंधेरा होने पर सत्येन्द्र मकान के पीछे के दरवाजे से अंदर आया। वह अपने साथ एक चाकू व 4–5 दुपट्टे लाया था। हम दोनों ने दुपट्टे से सास के हाथ-पैर बांधे और मेरे द्वारा उसके पैर पकड़े जाने पर सत्येन्द्र ने चाकू से उसका गला रेत दिया। इसके उपरांत सत्येन्द्र ने मौके पर ही मौजूद दरांती से अपनी पत्नी मंजू का भी गला काटकर हत्या कर दी। **हत्या को अंजाम देने के पश्चात सत्येन्द्र ने मुझे फरारी काटने हेतु ₹2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रुपये) नकद दिए और मुझे वहां से भगा दिया एवं कोल्ड ड्रिंक, दुपट्टा और सारे सामान को लेकर सत्येन्द्र भी वहाँ से भाग गया।**

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. मुकेश पुत्र रामनरेश यादव निवासी ग्राम नगला तुला थाना कुर्रा जनपद मैनपुरी उम्र 42 वर्ष।

बरामदगीः-

1. 01 लाल रंग की स्कूटी **(घटना में प्रयुक्त)**
2. 2,31,000/- रूपये नकद **(घटना कारित कर प्राप्त हुये)**
3. 01 तमन्चा 315 बोर
4. 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर
5. 02 खोखा कारतूस।

पुलिस टीमः-

प्रथम टीमः- एसओजी/सर्विलान्स टीम

द्वितीय टीमः- निरी0 श्री विक्रम सिंह प्रभारी थाना भरथना मय टीम।